

23/9/19

पणवली आवेशार्थ प्रकृत हुई। उभयपक्ष
 के अतिरिक्त उपस्थित। उभयपक्ष की
 बहस पर मनन किया। अतः प्रथम/प्रतिवादिता सं. 4 की ओर से प्रकृत
 आवेदन अं. आदेश 7 नियम 11 CPC (डी)
 विधिसम्मत एवं पुष्कियुक्त होने से स्वीकार
 किया जाकर वादीया का वादपत्र इसी
 स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय
 पत्रक से लिखवाया जाकर शामिल फावली
 किया गया। पणवली फेसलानुसार होकर
 अद तकमील दायिल दफतर हो।



[Signature]
 उपाखण्ड अधिकारी
 धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
 Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु० सीकर जिला सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

प्रकरण सं. 08/2019/दावा

लक्ष्मी कंवर

बनाम

धर्मपाल सिंह आदि

आवेदन अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 (डी) सीपीसी

आदेश

दिनांक- 23.09.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम दुजोद तहसील धोद जिला सीकर में भूमि खसरा सं. 924, 925 अवस्थित है। प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 4 की ओर से आवेदन अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी(डी) का पेश कर निवेदन किया कि उपर्युक्त वर्णित आराजी का तत्कालीन खातेदारों ने दिनांक 07.01.2008 को तहसीलदार सीकर के समक्ष बंटवारा प्रस्तुत कर आपसी सहमति से बंटवारा करवाया था। जिसका नामान्तरकरण सं. 958 दिनांक 15.01.2008 को भरा गया था, इसलिए आदेश 23 नियम 3(क) सीपीसी के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से पोषणीय नहीं है। प्रश्नगत आराजी भूमि खसरा सं. 925 रकबा 1.31 हैक्टेयर की खातेदारी यूआईटी सीकर के नाम जरिये नामान्तरकरण सं. 1703 दिनांकित 30.07.2014 को हो गई है। प्रश्नगत भूमि कृषि भूमि नहीं रही। इसलिए वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए भी वाद पोषणीय नहीं है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इस स्टेज पर ही खारिज फरमाया जावे।
2. आवेदन पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील जवाबदाता/वादीगण को दिलाई गई। वकील जवाबदाता/वादीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आवेदन की मद सं. 1 में वर्णित तथ्य गलत व अस्वीकार है। विवादित कृषि भूमियों का बंटवारा वादीगण को धोखे में रखकर धोखाधड़ीपूर्वक फर्जी तरीके से करवाकर वादीगण की जमीन हड़प ली है। उक्त बंटवारा वादीगण को दवाब में लेकर सहमति के बिना गलत रूप से किया गया है जिसको निरस्त करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही है। प्रस्तुत वाद पर आदेश 23 नियम 3(क) सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए यह आवेदन खारिज योग्य है। आवेदन की मद सं. 2 गलत है। अतः अस्वीकार है। वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी उद्घोषणा का वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही है। वादी ने अपने वाद में नामान्तरकरण सं. 1703 को निरस्त कर



Riy
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा चाही है, जो माननीय न्यायालय द्वारा ही प्रदान की जा सकती है इसलिए आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। जवाबदाता/वादीगण ने अपने पक्ष में विशेष कथन भी अंकित किया कि प्रतिवादीगण सं. 4 लगायत 8 ने कतई गलत रूप से धोखे से हस्ताक्षर करवाकर वादीगण तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 की 0.15 हैक्टेयर भूमि अधिक हड़प ली। जबकि प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 उक्त भूमियों के क्रेता है और कानूनन क्रेता को खरीदशुदा भूमि से अधिक नहीं दी जा सकती है जिसे बंटवारे में प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी सं. 4 लगायत 8 ने खसरा सं. 925 रकबा 1.31 हैक्टेयर व खसरा सं. 924 रकबा 2.16 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.47 में से हिस्सा 1/3 खरीदकर खातेदारी अपने नाम करवाई थी। अर्थात् 1.1566 हैक्टेयर भूमि के ही हकदार थे जबकि बंटवारा में बेईमानीपूर्वक सम्पूर्ण खसरा सं. 925 रकबा 1.31 हैक्टेयर हड़प लिया। इस प्रकार यह स्पष्टतः दिखता है कि 0.15 हैक्टेयर अधिक भूमि भोलेभाले वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 भी अन्यायपूर्वक ले ली। इसलिए उक्त बंटवारे को निरस्त करने का अधिकार मात्र माननीय न्यायालय को ही है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीया का यह आवेदन विशेष हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थीया/प्रतिवादिना सं. 4 ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त आराजी का जो बंटवारा तहसीलदार द्वारा किया गया था। वह सही किया गया था। जिसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। आदेश 23 नियम 3(क) सीपीसी के तहत यह वाद विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नहीं है। भूमि की 90-बी की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः वादीगण का वाद उचित क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/वादीगण द्वारा आवेदन के जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 4 ता 8 ने जमीन खरीदी है। अतः खरीदशुदा जमीन से ज्यादा जमीन खरीददार को नहीं दी जा सकती है। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में उद्घोषणा का वाद पेश किया गया, जो कि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है। आवेदन आधारहीन होने से खारिज किया जाने योग्य है।
4. हमने उभयपक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सहमति से बंटवारा तहसीलदार द्वारा किया गया था। सहमति/राजीनामा के आधार पर किया गया कोई भी आदेश अंतिम होता है, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आदेश 23 नियम 3(क) के अनुसार भी यह स्पष्ट है कि समझौते या आपसी राजीनामा/सहमति के आधार पर



Riy
उपखण्ड अधिकारी
धोद म. सीकर

दिये गये किसी आदेश/निर्णय को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह समझौता या सहमति/राजीनामा विधिपूर्ण नहीं था। धोखे/छल/कपट का प्रश्न आपसी सहमति के बंटवारे में नहीं उठता है फिर भी धोखाधड़ी, छल/कपट द्वारा किये गये किसी भी कृत्य के प्रश्न पर सुनवाई का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को है।

5. अतः प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 4 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अं. आदेश 7 नियम 11 सीपीसी(डी) विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त होने से स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Raj
(राजपाल यादव)

उपखण्ड अधिकारी सीकर
उपखण्ड अधिकारी सीकर
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official